

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1  
संख्या-533 / 9-1-2015-96सा / 13  
लखनऊ: दिनांक 9 फरवरी, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नगर पंचायत, खरखौंदा, जनपद मेरठ में निम्नलिखित व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में नामित करते हैं :-

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता
1	श्रीमती सुनीता	पत्नी श्री महेश त्यागी	खरखौंदा
2	श्री अब्दुल हक सैफी	श्री गनी मोहम्मद	खरखौंदा
2	श्री नरेश	श्री सुखवीर सिंह	खरखौंदा

2. उक्त आदेश विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या: 34436 / 11 तथा 18362 / 2012 में मा० उच्चतम न्यायालय में अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,

श्रीप्रकाश सिंह  
सचिव।

संख्या-533 (1) / 9-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उ०प्र० असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में दिनांक 9 फरवरी, 2015 को प्रकाशित कराकर उसकी 20 मुद्रित प्रतियां नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, सातवां तल लखनऊ को कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

( सुधीर सिंह चौहान )  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 555 (2)/9-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
4. स्पीड पोस्ट -जिलाधिकारी, मेरठ।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, खरखौंदा, मेरठ।(द्वारा जिलाधिकारी)
6. समस्त संबंधित सदस्य।(द्वारा जिलाधिकारी)
7. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय साइट पर अपलोड किया जाना एवं समस्त संबंधित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



( बिहारी लाल काने )  
अनु सचिव।